कार्यवाई टिप्पणी ता... सहित / आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
04.02.2022	**नामांतरण अपील वाद संख्या 3/ 2019-20** तुलसी पाल वगैरह प्रति जिबासा देवी **आदेश** अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित । प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदकगण की ओर से अंचल बिशुनपुरा के नामांतरण वाद सं० 36/2018-19 के विरुद्ध नामांतरण अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है । दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुये संबंधित पक्षकारों को नोटिस किया गया एवं अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई । उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । अपीलार्थीगण का कथन है कि अंचल बिशुनपुरा मौजा बिशुनपुरा के खाता सं० 101 प्लौट सं० 1068 रकबा 13.75 डिसमिल खाता सं० 101 प्लौट सं० 1069 रकबा 5 डिसमिल खाता सं० 227 प्लौट सं० 16 रकबा 25 डिसमिल पर अपील वाद लाया गया है । प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थीगण द्वारा कराई गई है जो अपील आवेदन खारिज योग्य है । अपीलार्थीगण का यह कहना है कि अंचल बिशुनपुरा मौजा बिशुनपुरा के खाता सं० 101 प्लौट सं० 1068 रकबा 13.75 डिसमिल खाता सं० 101 प्लौट सं० 1069 रकबा 5 डिसमिल खाता सं० 227 प्लौट सं० 16 रकबा 25 डिसमिल पर अपील वाद लाया गया है । जो उक्त भूमि गत सर्वेक्षण काल में मानकी गड़ेरी वो देवनंदी गड़ेरी कि खतियानी भूमि थी । देवनंदी गड़ेरी के आठ पुत्री है वृद्ध होने के कारण अपनी सभी पुत्रियों से बारी बारी से सेवा टहल करने हेतु का आग्रह किये लेकिन जिबासा देवी के छोड़कर अन्य सातों पुत्रियों ने सेवा टहल करने से साफ इनकार कर दिये । जो जिबासा देवी दिव्यांग है । जिसका शरीर का उपरी भाग पेट एवं छाती जला हुआ है । जो प्रत्यर्थी के पति इसी शर्त पर शादी किये कि मै सेवा टहल करूँगा जिसके बदले में ऊपर वर्णित जो अपील वाद कि भूमि है मै अपनी पुत्री जिबासा देवी एवं दमाद को भूमि दान कर दूंगा जिसमे जिबासा देवी कि शादी वर्ष 1999 ई० में हुआ एवं वर्ष 2005 से ही सेवा टहल एवं ईलाज करते आ रहे है । जिससे प्रसन्न होकर देवनंदी गड़ेरी ने दानपत्र शपथ पत्र के माध्यम से भूमि लिख दिये जिसपर प्रत्यर्थी का उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चले आ रही है एवं आवासीय मकान में सपरिवार वर्षो से रहती आ रही है । जिबासा देवी ने नामांतरण हेतु आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा के द्वारा दखल कब्जा के अनुसार समुचित जांचोपरान्त नामांतरण स्वीकृत दी गई । अपीलार्थी सं० 3 कमला देवी ने प्रति प्रत्यर्थी जिबासा देवी पार्टीशन सूट सं० 11/2019 न्यायालय गढ़वा में बिचाराधीन है । लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा के पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुये अपीलार्थीगण के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उप समाहर्ता, श्री बंशीधर नगर। भूमि सुधार उप समाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:27:07 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner